

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,  
NEW DELHI**

Original Application No. 248/2024

IN THE MATTER OF:-

News item titled, "six vehicles used in illegal sand mining seized in Haryana's Nuh, appearing in the Hindustan Times dates 10.02.2024.

**INDEX**

Sr. No	Particulars	Pages
1.	Report of District Magistrate, Nuh	1-7
2.	Copy of chargsheet of FIR No. 986/2024 is annexed as <b>Annexure-R1</b>	8-9
3.	Copy of chargsheet of FIR No. 1097/2024 is annexed as <b>Annexure-R2</b>	10-13
4.	Copy of chargsheet of FIR No. 797/2024 is annexed as <b>Annexure-R3</b>	14-17
5.	Copy of chargsheet of FIR No. 794/2024 is annexed as <b>Annexure-R4</b>	18-24
6.	Copy of eRawanna issued by Mining Department Rajasthan is annexed as <b>Annexure-R5</b>	25
7	Copy of reply submitted by Mining Department, Nuh in two cases is annexed as <b>Annexure-R6(Colly)</b> .	26-33

  
 District Magistrate, Nuh

Date: 26.09.2024  
Place: Nuh

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 248/2024

IN THE MATTER OF:-

News item titled, "six vehicles used in illegal sand mining seized in Haryana's Nuh, appearing in the Hindustan Times dates 10.02.2024.

**Report of Sh. Dhirendra Khadgata, IAS, District  
Magistrate, Nuh (Respondent No.3).**

**Most Respectfully Showeth:-**

1. That this Hon'ble Tribunal took cognizance of News item published in Hindustan Times dated 10.02.2024 entitled "Six vehicles used in illegal sand mining seized in Haryana's Nuh" and vide notice dated 02.03.2024, it has been put into notice about listing of present matter on 19.03.2024 for appearance of Noticees including the answering Noticee No. 3.
2. That the answering respondent has filed reports dated 17.03.2024 and 04.07.2024, contents of which may kindly be treated as part and parcel of the present report as those are not being repeated herein for the sake of brevity.
3. That this Hon'ble Tribunal considered the report dated 04.07.2024 and passed the order dated 05.07.2024, relevant portion of the order dated 05.07.2024 is being reproduced as under:

*[Handwritten signature]*

*"3. Fresh report has been filed by District Magistrate, Nuh on 04.07.2024. Said report gives the details of FIRs and persons against whom FIRs have been registered which do not disclose the names of the persons responsible for illegal mining nor does it disclose any action by competent authority for imposition of environmental compensation.*

*4. Learned Counsel for respondents seeks six weeks time to file proper report responding to the above issues."*

4. As per information received from the Police, the current status of aforesaid six F.I.R.s is as under:

- (i) In case of FIR No.986/2024, driver ran away leaving Tractor with trolley filled with 4 MT approx. ordinary clay, on spot. Vehicle was seized. Accused/Owner has been identified who got vehicle released on supardari from the Court of JMJC, Nuh. Challan has been prepared and same has been put before concerned Court against Driver-cum-Owner namely Asru S/o Deenu R/o Bibipur, Ujina, Dist. Nuh. No person other than Driver-cum-Owner has been named in the Challan. Copy of challan is annexed herewith as **ANNEXURE-R/1**. Vide letter dated 25.09.2024, the SHO, Haryana State Enforcement Bureau, Nuh has been directed to investigate further into the matter and ascertain the place of illegal mining and person responsible for illegal mining of 4 MT approx. ordinary clay within two weeks.

- (ii) In case of FIR No.988/2024, driver ran away leaving Tractor with trolley filled with 4 MT approx. ordinary clay, on spot. Vehicle was seized. Accused/Owner has been identified who got vehicle released on superdari from the Court of JMIC, Nuh. During investigation, it has been revealed that name of Driver-cum-Owner is Hasam S/o Sarjeet R/o Bibipur, Ujina, Dist. Nuh. Challan has not been put in Court. The SHO, Haryana State Enforcement Bureau, Nuh has been directed to complete the investigate and ascertain the place of illegal mining and person responsible for illegal mining 4 MT approx. ordinary clay within two weeks.
- (iii) In case of FIR No.1004/2024, HYWA filled with approx. 35 MT GSB mineral was seized. Accused/Owner got vehicle released on supardari from the Court of JMIC, Nuh. Name of Driver-cum-Owner is Munfed S/o Piroja R/o Near Idgah Wali Masjid, Neemla Kaith Wara, Bharatpur, Rajasthan. Challan has been prepared and same has to be put in concerned Court. The SHO, Haryana State Enforcement Bureau, Nuh has been directed to put the challan in concerned Court after ascertaining the place of illegal mining and person responsible for illegal mining of 35 MT approx. GSB mineral within two weeks.
- (iv) In case of FIR No.1097/2024, HYWA filled with approx. 65.69 MT Stone mineral was seized. Accused/Owner has been

identified who got vehicle released on superdari from the Court of JMIC, Nuh. Challan has been prepared and same has been put before concerned Court against Driver-cum-Holder of Special power of Attorney namely Shamshad Hussain S/o Ilyas R/o I T I Colony, Ward No.9, Sohna, Gurgaon. No person other than Driver-cum-Holder of Special power of Attorney has been named in the Challan. Copy of challan is annexed herewith as **ANNEXURE-R/2**. As per Challan submitted, accused stated that he was carrying stone after theft from Pahar of Rajasthan. Vide letter dated 25.09.2024, the SHO, Haryana State Enforcement Bureau, Nuh has been directed to investigate further into the matter and ascertain the exact place of illegal mining in State of Rajasthan and person responsible for illegal mining of 65.69 MT Stone mineral within two weeks.

- (v) In case of FIR No.797/2024, Dumper filled with approx. 23.50 MT Stone Dust was seized. Accused/Owner has been identified who got vehicle released on superdari from the Court of JMIC, Nuh. Challan has been prepared and against Driver-cum-Owner namely Tahir Khan S/o Majeed Khan R/o Silkho Dist. Nuh. No person other than Driver-cum-Owner has been named in the Challan. Copy of challan is annexed herewith as **ANNEXURE-R/3**. Vide letter dated 25.09.2024, the SHO, Haryana State Enforcement Bureau, Nuh has been

⑤

directed to investigate further into the matter and ascertain the place of illegal mining and person responsible for illegal mining of 23.50 MT Stone Dust within two weeks.

- (vi) In case of FIR No.794/2024, driver ran away leaving HYWA filled with approx. 54 MT Stone against e-ravanna valid for 28.43 MT. The vehicle was seized. Accused/Owner has been identified who got vehicle released on supardari from the Court of JMIC, Nuh. Challan has been prepared and submitted before concerned Court against Driver-cum-Owner namely Sahrin S/o Lakhpat R/o Baghor, Alwar, Rajasthan. No person other than Driver-cum-Owner has been named in the Challan. Copy of challan is annexed herewith as **ANNEXURE-R/4**. Accused provided copy of eRawanna issued by Department of Mines & Geology, Rajasthan is annexed herewith as **ANNEXURE-R/5**. As per said eRawanna, Name of Lessee is 'Divine Mines And Minerals' located at Naharpur Khurd/Ramgarh/Alwar (Rajasthan). Vide letter dated 25.09.2024, the SHO, Haryana State Enforcement Bureau, Nuh has been directed to investigate further into the matter and ascertain the place of illegal mining and person responsible for illegal mining of excess Stone.
5. That although concerned SHO has been directed to complete investigation/do further investigation to ascertain the place of illegal mining and person responsible for illegal mining as stated in

preceding paragraphs, this Hon'ble Tribunal if deems fit, may consider to issue notice to persons/entities as mentioned in Chargesheet, whose details are reproduced at one place as under:

- (i) Asru S/o Deenu R/o Bibipur, Ujina, Dist. Nuh.
- (ii) Hasam S/o Sarjeet R/o Bibipur, Ujina, Dist. Nuh
- (iii) Munfed S/o Piroja R/o Near Idgah Wali Masjid, Neemla Kaith Wara, Bharatpur, Rajasthan
- (iv) Shamshad Hussain S/o Ilyas R/o I T I Colony, Ward No.9, Sohna, Gurgaon
- (v) Tahir Khan S/o Mjeed Khan R/o Silkho Dist. Nuh
- (vi) Sahrun S/o Lakhpat R/o Baghor, Alwar, Rajasthan

6. That Environment Compensation for illegal mining shall be got assessed jointly by Mining Department and Haryana State Pollution Control Board after identification of land exposed to illegal mining under the FIRs mentioned above. It is noteworthy to mention here that as per order dated 19.02.2020 passed by this Hon'ble Tribunal in MA No.16/2020 in OA No.44/2016, vehicles or any other equipment's used for illegal mining can be released only after payment of amount as mentioned in para no.5 of said order. As per information received from Mining Officer, Nuh in cases where application for release of vehicle on Superdari was received to mining department, reply was filed on behalf of Mining Department stating about the order passed by this Hon'ble Tribunal. However,

*[Handwritten signature]*

Ld. Concerned Court has released the vehicles seized by Mining Department without condition of payment as per above stated order of this Hon'ble Tribunal. Therefore, Mining Officer, Nuh has been directed to examine the Orders passed to release the vehicles on Superdari and challenging the same in accordance with law. Copy of reply submitted on behalf of Mining Department in two cases is annexed herewith as **ANNEXURE-R/6 (Colly)**.

7. The District Administration, Nuh is committed to prevent & control the illegal mining / theft of mineral/illegal transportation of mineral with the help of Mining Department, Police department and Haryana State Enforcement Bureau. It is humbly submitted that delay in concluding the proceeding of identification and imposition of environment compensation is regretted. It is humbly prayed to grant further six weeks time to take the proceeding in question to its logical end.

Date: 26.09.2024  
Place: Nuh

  
District Magistrate,  
Nuh

## FINAL FORM/REPORT

अंतिम फार्म/रिपोर्ट

(Under Section 173 (2) Cr.PC)

(धारा 173 (2) सी0आर0पी0सी0)

IN THE COURT OF श्री Kartik Sharma JMIC, Nuh

1. District -Nuh PS- HSEnB Gurugram Year-2024 FIR No 986 Date- 29.02.2024

2. Final Report/Charge Sheet No Date

4 (I) IPC Section- 379 IPC

(II) Section-

(III) ACT Section- 21 (1), 21 (4) (A) Mining  
& Minerals (Development) ACT5. Type of Final/Report Charge Sheet/ Not Sheeted for want of evidence/F.R True,  
Undetected/F.R True untraced/F.R True, offence abated/F.R. Unoccurred.  
(tick applicable portion). Challan

6. If FIR Unoccurred False/ Mistake of Fact/ Mistake of law/Non Cognizable/Civil nature.

7. If Charge sheet Original/Supplementary  
(tick applicable portion).8. Name of I.O/ Rank/No ASI राजीव न0 280/JJR PP HSEnB Nuh  
(at the time of charge sheet)9. Name of Complainant शाह आलमदीन वरिष्ठ खनन रक्षक खनन अधिकारी,  
खनन एंवम भूविज्ञान नूह10 Detail of properties/Articles/Documents Recovered/seized during investigation and relied  
upon (separate list can be attached, of necessary)

Sr No	Property description	Estimated value	P.S Property Register No	Form Whom/Where Recovered or seized	Disposal
-------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------------------	----------

मुताबिक फर्द



11. Particular of accused person charge-sheeted (Use separate sheet for each accused)

Sr. No.1

- |        |  |   |
|--------|--|---|
| I)     | Name                                     | असरु  |
| II)    | Father Name                              | दीनू  |
| III)   | Date/Year of Birth                       | 36 साल  |
| IV)    | Sex                                      | पुरुष   |
| V)     | Nationality                              | भारतीय  |
|        | Date of issued                           |   |
|        | Passport No                              |   |
|        | Place of Issue                           |   |
|        | Religion                                 | मुस्लिम   |
| VI)    | Whether SC/ST/OBC                        |   |
| VII)   | Occupation                               | मजदूरी  |
| VIII)  | Address                                  | निवासी बीबीपुर थाना सदर नूह जिला नूहा                                 |
| IX)    | Whether Verified                         |   |
| X)     | Provisional Criminal No                  |   |
| XI)    | Regular Criminal No (if known)           |   |
| XII)   | Date of Arrest                           | 06.03.2024  |
| XIII)  | Date of release on bail                  | 06.03.2024  |
| XIV)   | Date on which forwarded to court         |   |
| XV)    | Under Acts & Sections                    | 21 (1), 21 (4) (A) Mining and Minerals<br>(Development) ACT & 379 IPC |
| XVI)   | Details of bailers/sureties              |   |
|        | Name                                     | Father/Husband Name   |
|        | Occupation                               | Address   |
|        | Identification                           |   |
| XVII)  | Previous conviction with case references |   |
| XVIII) | Status of the accused                    |   |

Forwarded/Bailed by Police/Bailed by Court/judicial custody/Absconding/Proclaimed offenders (tick applicable portion).



## 13. निरीक्षण किये गये गवाहों का विवरण-

1. शाह आलमदीन वरिष्ठ खनन रक्षक खनन अधिकारी, खनन एवम भूविज्ञान नूह मो0 9416554747
2. सिपाही शैलेन्द्र न0 359/नूह MC पुलिस चौकी जयसिंहपुर मो0 8814823200
3. सिपाही ललित न0 388/RWR PP HSEnB Nuh मो0 9554531453
4. SI चन्द्रपाल PP HSEnB Nuh मो0 9050034607
5. HC आजम खान न0 410/PWL थाना HSEnB गुरुग्राम मो0 9991772751
6. ASI राजीव न0 280/नूह PP HSEnB Nuh मो0 9053333895
7. INSP/SHO अरविन्द कुमार थाना HSEnB गुरुग्राम मो0 9812553960
8. एन.टी.ए. 473/नूह मो0 8397825551
9. एन.टी.ए. 1821/नूह मो0 9050561560

## 16. अभियोग के संक्षिप्त हालात-

श्रीमान जी,

संक्षिप्त हालात नुकदमा हजा इस प्रकार से है कि दिनांक 29.02.2024 को खान एवम भूविज्ञान विभाग, नूह से एक पत्र क्रमांक 1869 दिनांक 26.02.2024 बजरिया डाक थाना पर प्राप्त हुआ जिसका सार इस प्रकार से है:- "सेवा में, थाना प्रबन्धक हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम। यदि क्रमांक 1869 दिनांक 26-02-2024 विषय- ट्रेक्टर ट्राली नम्बर HR 27L-5987 के चालक व मालिक के खिलाफ माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23.04.2019 व दिनांक 19.02.2020 की उल्लंघना करने व खान एवम खनिज (D&R) अधिनियम 1957 की धारा 21 (1), 21.4(A), 379 के तहत कानूनी कार्यवाही करने वारे। उपरोक्त विषय में आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 07.02.2024 को हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो से श्री चन्द्रपाल एस.आई, मय स्टाफ द्वारा ट्रेक्टर ट्राली नम्बर HR 27L-5987 को गाव ठेकडा में पकडा जिसमें अवैध खनिज साधारण मिट्टी लगभग 4 मिट्रिक टन भरी हुई थी। उक्त वाहन का चालक वाहन को मौके पर छोड कर भाग गया। उक्त वाहन को निरीक्षण टीम द्वारा चौकी जयसिंहपुर में लाकर खडा किया गया व इस कार्यालय को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर इस कार्यालय से श्री शाहआलमदीन वरिष्ठ खनन रक्षक ने खान एवम खनिज अधिनियम (D&R) 1957 की धारा 21 (4) व राज्य खनन नियम 2012 के उपनियम 102 व माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2019 व 19.02.2020 के अनुसार पृष्ठांकन क्रमांक एस.पी.एल. नम्बर दिनांक 07.02.2024 को सीज करके चौकी जयसिंहपुर में अमानत खडा किया गया। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के दिनांक 23.04.2019 व 19.02.2020 के आदेशानुसार उपरोक्त वाहन के मालिक व चालक से पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशी 2,00,000/- खनिज की रायल्टी रु 14/- कीमत रु 42 जुर्माना राशी 10,000/- ई चालान के माध्यम से सरकारी खजाना में जमा करवानी थी जिसे अभी तक जमा नहीं करवाया है। आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त वाहन मालिक व चालक के खिलाफ माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में उपरोक्त आदेशों की उल्लंघना करने वारे व अवैध खनिज परिवहन करने वारे खान एवम खनिज (D&R) अधिनियम 1957 की धारा 21 (1) व 21.4 (A), 379 IPC के तहत कानूनी कार्यवाही करके इस कार्यालय को अवगत करवाने का कष्ट करे। SD- शाहआलमदीन, वरिष्ठ खनन रक्षक, खनन अधिकारी, खान एवम भूविज्ञान विभाग, नूह। जो उपरोक्त पत्र के सार से सरेदस्त सूरत जुर्म जेर धारा 21 (1), 21 (4) (A) Mining and



- Minerals (Development) ACT & 379 IPC का घटित होना पाये जाने पर उपरोक्त अभियोग उक्त दृष्टीन दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकद्दमा हजा की तफतीस ASI राजीव PP HSEnB Nuh द्वारा अमल में लाई गई दौरान तफतीस दिनांक 06.03.2024 को पुलिस चौकी जयसिंहपुर (थाना सदर नूह) में अमानतन खडे अभियोग में पकडे हुए टैक्टर न० HR 27L-5987 मार्क DI- 35 HDM S1 मय टाली को MC चौकी जयसिंहपुर से हासिल करके प्रमाण के तौर पर रूचि प्राप्ति द्वारा कब्जा पुलिस में लिया गया। ब्यानात गवाहन लिखे गये तथा चौकी HSEnB में जगह न होने के कारण टैक्टर अमानतन वही खडा किया गया। अभियोग में आरोपी असरु पुत्र दीनू निवासी बीबीपुर थाना सदर नूह जिला नूह के खिलाफ सबूत काविले गिरफ्तारी सफा मिशल पर गुजरने उपरान्त आरोपी असरु उपरोक्त को मुकद्दमा हजा में दिनांक 06.03.2024 को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। दौरान गिरफ्तारी आरोपी का ~~पुनः हासिल~~ अकित किया गया तथा आरोपी असरु उपरोक्त ने अभियोग में पकडे हुए टैक्टर न० HR 27L-5987 मार्क DI- 35 HDM S1 की असल RC व अपने ड्राईविंग लाईसेंस न० HR27 20230002241 को पेश किया। जो उपरोक्त RC व DL को बतौर बजह सबूत बजरिया फर्द कब्जा पुलिस में लिया गया ब्यानात गवाहन लिखे गये। आरोपी को अंरनेश कुमार V/S स्टेट विहार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए शामिल अनुसंधान करके फारिंग किया गया। जो अब आरोपी असरु पुत्र दीनू निवासी बीबीपुर थाना सदर नूह जिला नूह के खिलाफ सबूत काविले चालान सफा मिशल पर गुजरने उपरान्त अभियोग का चालान जेर धारा 173 (2) सीआरपीसी के तहत तैयार करके बराथे समायत माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। गवाहन को बजरिया सम्मान तलब फरमाकर अभियोग की समायत फरमाई जाय।

*ferwera*  
*Devi*  
14/05/24

*Praveen*  
प्रबंधक अफसर  
थाना HSEnB गुरुग्राम  
दिनांक 14/5/24

तफतीस कागजात:- चालान फार्म, असल लेख मय Fir कॉपी, नक्शा मौका नजरी  
3 5 1

फर्द मकयुजगी टैक्टर न० HR 27L-5987 मय टाली, शामिल अनुसंधान फार्म, फर्द जामा तलाशी,  
1 1 1

पुनः हासिल आरोपी, फर्द मकयुजगी टैक्टर न० HR 27L-5987 की RC मय DL आरोपी, जाली ड्राइवला  
1 2 1

नोटिस जेर धारा 133 एम वी एक्ट सुपरदारी आदेश टैक्टर मय टाली व फोटो, पहचान पत्र,  
1 3 1

सजा रिलीफ, ध्यान 161 Cr.PC  
1 5

*Praveen*  
प्रबंधक अफसर  
थाना HSEnB गुरुग्राम  
दिनांक 14/5/24



**HARAYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा)**

**I.I.F.-V Report**  
**I.I.F.-V एकीकृत जांच फार्म-V**  
**FINAL FORM / REPORT**  
**अंतिम फार्मरिपोर्ट /**

(Under Section 173 (2) Cr.P.C.)

173 दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा(2) के अन्तर्गत (

IN THE COURT Kartik Sharma CJM Nuh (के न्यायलय में)

District (जिला):(नूह PS (थाना (हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम YEAR (व ):(2024

FIR No: (प्र1097 ):(सं.रि.सू. Date (दिनांक 11-03-2024 ):(

Final Report / Charge Sheet No. (अंतिम रिपोर्ट (आरोप पत्र संख्या /Dateदिनांक:(

S.No.(क्र.सं.)	Act (अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
.1	IPC	379 IPC & 21(1), 21.4(A) Mining Act 1957

Type of Final Form/Report (अंतिम फार्म:(रिपोर्ट का प्रकार/; चालान रिपोर्ट

If FIR Uncured (यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित:(

If Charge sheet (यदि आरोप दाखिल किया गया ):(

Name of I.O. (जाँच अधिकारी का नाम ):(HC भारत शर्मा पुलिस चौकी हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो नूह

At the time of charge sheet (आरोप पत्र दाखिल करते समय(

Rank (पद ):(HC No.(संRewarin/ 83 ):(

(a) Name of complainant (शिकायतकर्ता):- धर्मपाल वरिष्ठ खनन अधिकारी खान एवं भू-विज्ञान गुरुग्राम

.10Details of Properties/ Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon

(जांच के दौरान बरामदवस्/जब्त सम्पति/तु:( दस्तावेज का विवरण जिन्हे आधार बनाया गया हो/

S.No.	Property description	Estimated value (in Rs.)	P.S. Property Register No.	From whom/ where recovered or seized	निराकरण
	सम्पति का विवरण	अनुमानित मूल्य (मै.रु)	थाना सम्पति रजिस्टर सं.	कहाँकिससे जब्त / अथवा बराद की गई।	

.11 चार्जशीट किये गये अपराधियों का विवरण:-

(प्रत्येक के लिये अलग सीट लगायें)

.1	नाम	समशाद हुसैन	यदि सत्यापित है	हां
.2	पितानाम पति का/	इलयास	.3जन्म तिथिवर्ष/	25 साल
.4	लिंग	पुरुष	.5राष्ट्रीयता	INDIAN
.6	पासपोर्ट न0		जारी करने की तिथि	
	जारी करने का स्थान			
.7	धर्म		.8अनुसूचित जातिजनजाति/	
.9	व्यवसाय	ड्राईवरी	.10पता	आई0 टी0 आई0 कॉलोनी वार्ड 9 सोहना
	क्या सत्यापित है			हां
.11	अस्थाई अपराधी संख्या			
.12	स्थाई अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो तो)			
.13	गिरफ्तारी तिथि			20-03-2024
.14	जमानत पर रिहा होने की तारीख			20-03-2024
.15	अदालत में दाखिल होने के तारीख			
.16	किन अधिनियमों तथा धाराओं के अन्तर्गत			379 IPC & 21(1), 21.4(A) Mining Act 1957
.17	जमानतियों के नाम वा पते			
.18	अभियोगों के विवरण सहित पूर्व सजायाबियां			
.19	अपराधी की हैसियत			सामान्य

अग्रेषित/पुलिस द्वारा जमानत/पुलिस हिरासत में/ न्यायालय द्वारा जमानत पर /न्यायिक हिरासतघोषित /फरार/  
अपराधी

थाना हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम

जिला गुरुग्राम

सूचि गवाह :-

- 1- धर्मपाल वरिष्ठ खनन अधिकारी खान एवं भू-विज्ञान विभाग गुरुग्राम
- 2- प्रधान सिपाही राजीव नम्बर 287/फरीदाबाद थाना हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम
- 3- निरीक्षक सूरजमल चौकी हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो नूहं
- 4- स0उ0नि0 करण चौकी हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो नूहं
- 5- उ0नि0 विजय चौकी हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो नूहं
- 6- स0उ0नि0 राजीव चौकी हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो नूहं
- 7- स0उ0नि0 संदीप चौकी हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो नूहं
- 8- प्रधान सिपाही विकास चौकी हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो नूहं
- 9- सिपाही सन्दीप कुमार नम्बर 892/नूहं मुन्शी थाना सिटी नूहं ।
- 10- प्रधान सिपाही सन्दीप कुमार नम्बर 476/नूहं चौकी हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो नूहं
- 11- प्रधान सिपाही भारत शर्मा नम्बर 83/रेवाडी चौकी हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो नूहं 9813920836
- 12- प्रधान सिपाही राकेश कुमार नम्बर 181/नूहं चौकी हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो नूहं 9728618100
- 13- अरविन्द्र कुमार निरीक्षक प्रबन्धक अफसर थाना हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम 9812553960

श्रीमानजी,

अभियोग का सार इस प्रकार से है कि सेवा में थाना प्रबन्धक हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम यादि क्रमांक 1929 दिनांक 7-3-2024 विषय हाईवा नम्बर RJ14-GP-6925 के चालक व मालिक के खिलाफ माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के ओदश दिनांक 23-4-2019 व दिनांक 19-2-2020 की उल्लंघना करने व खान एवं खनिज (D&R) अधिनियम 1957 की धारा 21(1), 21.4(4), 379 के तहत कानूनी कार्यवाही करने बारे उपरोक्त विषय मे आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 8-2-2024 को हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो से श्री सूरजमल निरीक्षक , श्री करण पी0एस0आई0, श्री विजय एस0आई0, श्री राजीव ए0एस0आई0, श्री संदीप स0उ0नि0 व श्री विकास प्रधान सिपाही की निरीक्षण टीम ने उक्त हाईवा नम्बर RJ14-GP-6925 को नजदीक तिरंगा चौक नूहं से चैकिंग के दौरान पकडा उक्त वाहन मे अवैध खनिज पत्थर (लगभग 65.69 मिट्रिक टन) भरा हुआ था । जिसका चालक ने कोई बिल नही

दिखाया । उक्त वाहन का निरीक्षण टीम द्वारा लाकर खड़ा किया गया व इसकी सूचना इस कार्यालय को दी गई । सूचना मिलने पर उक्त वाहन को इस कार्यालय से श्री धर्मपाल वरिष्ठ खनन रक्षक ने खान एवमं खनिज अधिनियम (D&R) 1957 की धारा 21(4) राज्य खनन नियम 2012 के उपनियम 102 व माननीय राष्ट्रीय हरति प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-4-2019 व 19-2-2020 के अनुसार पृष्ठांकन क्रमांक एस0पी0एल0 नम्बर 1 दिनांक 8-2-2024 को सीज करके थाना सिटी नूहं में अमानतन खड़ा किया गया । उपरोक्त वाहन को पहले भी दिनांक 27-6-2023 को सीज किया गया था जिसे माननीय न्यायालय श्री संदीप कुमार दुग्गल, ए0एस0जे0 नूहं के द्वारा दिनांक 11-7-2023 को जुर्माना राशि मु0 1,18,400/-रूपये जमा करवाने उपरान्त सुपरदारी पर छोड़ने के आदेश दिए गए थे । माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के दिनांक 23-4-2019 व 19-2-2020 के आदेशानुसार उपरोक्त वाहन के मालिक व चालक से पर्यावरण क्षतिपूर्ति ( वाहन की शौरूम कीमत का 50 प्रतिशत) खनिज की रायल्टी मु0 3285/-रूपये कीमत 22992/-रूपये जुर्माना राशि 15,000/-रूपये ई चालान के माध्यम से सरकारी खजाना में जमा करवानी थी जिसे अभी तक जमा नहीं करवाया है । आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त वाहन मालिक व चालक के खिलाफ माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में उपरोक्त आदेशों की उल्लंघना करने बारे व अवैध खनिज परिवहन करने बारे खान एवं खनिज (D&R) अधिनियम 1957 की धारा 21(1)ए 21.4(ए) 379 भा0द0स0 के तहत कानूनी कार्यवाही करके इस कार्यालय को अवगत करवाने का कष्ट करें । हस्ताक्षर श्री धर्मपाल वरिष्ठ खनन रक्षक, खनन अधिकारी खान एवं भूविज्ञान विभाग नूहं । जो मजबूत पत्र से सरेदस्त सुरत जुर्म खान एवं खनिज (D&R) अधिनियम 1957 की धारा 21(1)ए 21.4(ए) 379 भा0द0स0 का घटित होना पाया जाने पर अभियोग उक्त धाराधीन दर्ज रजिस्टर किया गया ।

अभियोग का प्रथम अनुसंधान प्रधान सिपाही भारत शर्मा द्वारा अमल में लाया गया उसके बाद अभियोग का अनुसंधान प्रधान सिपाही राकेश द्वारा अमल में लाया गया दौरान अनुसंधान दिनांक 20-3-2024 को गाडी हाईवा नम्बर RJ14-GP-6925 को बजरिये सूची प्राप्ति द्वारा कब्जा पुलिस में लिया गया सूची जप्ती अलग से तैयार की गई । जिस पर गवाह के हस्ताक्षर कराये गये तथा गवाहों के कथन 161

सीआर0पी0सी0 अंकित किये गये तथा मौका घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्शा मौका नजरी तैयार किया गया तथा समशाद हुसैन पुत्र इलयास निवासी आई0टी0आई0 कॉलोनी वार्ड नम्बर 9 सोहना थाना सिटी सोहना के खिलाफ सबूत काबिले गिरफ्तारी सफा मिसल पर गुजरने पर अभियोग में नियम अनुसार शामिल अनुसंधान किया गया दौरान शामिल अनुसंधान आरोपीयान ने अभियोग की घटना बारे अपनी पूछताछ रिपोर्ट अंकित कराई कि दिनांक 8-2-2024 को गाडी हाईवा नम्बर RJ14-GP-6925 को मैं चला रहा था जिसकी Special power of Attorney मेरे नाम हे जो मैंने माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश की उल्लंघना करके अवैध रूप से राजस्थान के पहाड से पत्थर चोरी करके भकर लेकर आ रहा था जो दौरान रोड चैकिंग दिनांक 8-2-2024 को गाडी हाईवा नम्बर RJ14-GP-6925 मे पत्थर सहित हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो नूहं के इन्चार्ज श्री सुरजमल निरीक्षक ने अपनी टीम के साथ पकड़ लिया था जो मेरी गाडी हाईवा मे खनिज की क्षमता से अधिक वनज भरा हुआ था जो मैंने गाडी हाईवा नम्बर RJ14-GP-6925 मे क्षमता से अधिक वनज भरकर ला रहा था जो माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली आदेशानुसार उल्लंघन करके राजस्थान के अरावली पर्वत से अवैध रूप से पत्थर चोरी की है तथा आरोपी ने मौका घटना स्थल की निशानदेही कराई तथा आरोपी ने गाडी हाईवा की Special power of Attorney पेश किया जिसको प्रमाण के तौर पर सूचि प्राप्ति द्वारा कब्जा पुलिस मे लिया गया । जो पूछताछ रिपोर्ट, फर्द निशानदेही, सूचि प्राप्त पर आरोपी वा गवाह प्रधान सिपाही सन्दीप कुमार नम्बर 476/फरीदाबाद ने अपने अपने हस्ताक्षर किये है ।

दौराने अनुसंधान दिनांक 20-3-2024 को अभियोग में बरामद शुदा हाईवा रजि0 नम्बर RJ14-GP-6925 को माननीय अदालत के आदेश अनुसार सुपरदारी पर छोडा गया

जो अब तक के अनुसंधान से, एफ0आई0आर0 के सार से, नक्शा मौका नजरी से, गवाहो के कथनो से, आरोपी पूछताछ रिपोर्ट से, सूचि पहचान घटना स्थल, सूचि जप्ती से आरोपी समशाद हुसैन पुत्र इलयास निवासी आई0टी0आई0 कॉलोनी वार्ड नम्बर 9 सोहना थाना सिटी सोहना के खिलाफ साक्ष्य योग्य चालान फाईल पर आ चुके है आरोपीयान उपरोक्त के खिलाफ चालान जेस्धारा 173(2) सीआर0पी0सी0 के तहत तैयार

करके सुनवाई के लिए न्यायालय में दिया जा रहा है साक्ष्यों को सम्मन द्वारा तलब करके अभियोग की सुनवाई की जाये आरोपी समशादी हुसैन चालान के साथ पेश अदालत है ।

प्रबन्धक अफसर  
थाना हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम  
दिनांक

सूचि कमजात

- 1- बालान फार्म
- 2- असल तहशीर
- 3- नवशा मौका नजरी
- 4- सूचि प्राप्ति एक हाईवा नम्बर RJ14-GP-6925 मय कमजात व फोटो
- 5- शामिल अनुसंधान प्रपत्र
- 6- पूछताछ रिपोर्ट आरोपी
- 7- सूचि पहचान घटना स्थल
- 8- सूचि जप्ती Special power of Attorney
- 9- मुचलका जाति व जमानतनामा
- 10- सुपरदारी आदेश मय फोटो
- 11- कलन्दा व नोटिसा 91 सीआर0पी0सी0
- 12- सजा सिलप
- 13- कथन 161 सीआर0पी0सी0

प्रबन्धक अफसर

थाना हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम  
दिनांक

**FINAL FORM / REPORT****अंतिम फार्म/रिपोर्ट****(Under Section 173(2) Cr.P.C.)****(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 173(2) के अन्तर्गत)****IN THE COURT OF SH. KARTIK SHARMA JMIC NUH(के न्यायालय में)**1. District (जिला): Haryana State  
Enforcement Bureau (HSEnB)P.S. (थाना): HSEnB Police  
Station Gurugram

Year (वर्ष): 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 797

Date (दिनांक): 21/02/2024

2. Final Report / Charge Sheet No. (अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या):  
01

3. Date (दिनांक): 13/06/2024

4. S.No. (क्र.सं.)	Act (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	MINES AND MINERALS (REGULATION OF DEVELOPMENT) ACT 1957	21(1)
2	MINES AND MINERALS (REGULATION OF DEVELOPMENT) ACT 1957	21(4)(A)
3	IPC 1860	379
4	MOTOR VEHICLE ACT, 1954	3/181, 3/192

5. Type of Final Form/Report (अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार): CHARGE SHEET

6. If FR Unoccurred (यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):

7. If Charge sheet (यदि आरोप पत्र दाखिल किया): Original

8. Name of I.O. at the time of charge sheet (आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम):  
Bharat Sharama

Rank (पद): HC (Head Constable)

No. (सं.): 83RWR

9. (a)(क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इतिला देने वाले का नाम): शाहआलमदीन वरिष्ठ  
खनन रक्षक

(b)(ख) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/...

S. No. क्रं.सं.	Property description सम्पत्ति का विवरण	Estimated value (in Rs.) अनुमानित मूल्य (रु.में)	P.S. Property Register No. थाना सम्पत्ति रजिस्टर सं.	From whom/ where recovered or seized कहाँ/किससे जब्त अथवा बरामद की गई।	Disposal निराकरण

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

S. No. (क्र.सं.): 1

(i) Name (नाम): ताहिर खान

Whether Verified (क्या सत्यापित है?): Yes

(ii) Father's Name (पिताका नाम): मजीद

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष):

(iv) Sex (लिंग): Male

(v) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(vi) Passport No. (पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC (अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग): OTHER BACKWARD CLASSES (OBC)

(ix) Occupation (व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S. No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	निवासी सिल्खोह नुंह ,HARYANA,INDIA
2	Permanent Address	निवासी सिल्खोह नुंह ,HARYANA,INDIA

Whether verified (क्या सत्यापित है?): Yes

(xi) Regular Criminal No. (if known) नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest (गिरफ्तारी की तिथि): 26/02/2024

(xiii) Date of release on bail (जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court (न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections (अधिनियम एवं धाराएँ):

S. No. (क्र.सं.)	Act (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	IPC 1860	379
2	MINES AND MINERALS (REGULATION OF DEVELOPMENT) ACT 1957	21(1)
3	MINES AND MINERALS (REGULATION OF DEVELOPMENT) ACT 1957	21(4)(A)

(xvi) Details of bailers / sureties (जमानतियों का ब्यौरा):

Occupation (व्यवसाय):

Address

(पता):

S. No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
---------------------	------------------------------	---------------

Identification

(पहचान):

Date of Birth (जन्म तिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID

Proof (अन्य

प्रमाण पत्र)

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
---------------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references (मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	FIR No. (प्र.सू.रि. सं.)	State (राज्य)	District (ज़िला)	Police Station(थाना)	Description of Case (मामले का विवरण)	Details of conviction / Acquittal (सजा/आरोपमुक्त का विवरण)
---------------------	-----------------------------	------------------	---------------------	-------------------------	---	---

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): JOIN INVESTIGATION

12. Particulars of accused persons - not charge sheeted (suspect) (आरोप पत्र दाखिल न किए गए (संदिग्ध) अभियुक्तों का विवरण):

13. Particulars of witnesses to be examined (पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण):

S No. क्र.सं.	Name नाम	MOBILE NO	Address पता	Type of evidence to be tendered प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार
1	शाहआलमदीन वरिष्ठ खनन रक्षक	9416554747	भु विज्ञान विभाग गुरुगाम	शिकायतकर्ता
2	ASI कृष्ण 237/GGM	9671669304	थाना हरियाणा राज्य परिवर्तन ब्युरो गुरुगाम	अभियोग दर्ज करने बारे
3	PSI करण सिंह		AVT STAFF NUH	मौके का गवाह
4	ASI सदीप 5/94 HAP	9050482745	AVT STAFF NUH	मौके का गवाह
5	HC विकास 422/RWR	8684077840	चौकी हरियाणा राज्य परिवर्तन ब्युरो नुंह	मौके का गवाह
8	HC सदीप 476/FBD	9873489351	चौकी हरियाणा राज्य परिवर्तन ब्युरो नुंह	आरोपी के शामिल अनुसंधान बारे
9	EHC सतीश	9466950100	MM सदर तावडु	माल मुकदमा बारे
10	HC राकेश कुमार 181/NUH	9728618100	चौकी हरियाणा राज्य परिवर्तन ब्युरो नुंह	अनुसंधान अधिकारी बारे
11	HC भारत शर्मा 83/RWR	9813920836	चौकी हरियाणा राज्य परिवर्तन ब्युरो नुंह	अनुसंधान अधिकारी बारे
12	प्रबंधक अफसर नि0 अरविन्द	9812553960	थाना हरियाणा राज्य परिवर्तन ब्युरो गुरुगाम	चालान तैयार करने बारे

14. If FR is false (F.R. false), Indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C (यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

श्रीमान् जी, संक्षिप्त हालात अभियोग इस प्रकार से हैं कि दिनांक 21.02.2024 को बजरिया डाक

प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम। यदि कमांक 1815 दिनांक 20-02-2024 विषय - डम्पर नम्बर HR 55AK- 2588 के चालक व मालिक के खिलाफ माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23.04.2019 व दिनांक 19.02.2020 की उल्लघनां करने व खान एवम खनिज (D&R) अधिनियम 1957 की धारा 21 (1), 21.4(1), 379 के तहत कानूनी कार्यवाही करने बारे। आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 17.01.2024 को हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो से श्री करण सिंह पी.एस.आई. श्री संदीप ए.एस.आई. 5/94 HAP, श्री भारत HC 83 /RWR व श्री विकास HC 422/RWR से सूचना प्राप्त हुई कि डम्पर नम्बर HR 55AK- 2588 जिसमें स्टोन डस्ट (23.50 मिट्रिक टन) भरी हुई थी को रोड साईड चैकिंग के दौरान तावडू में रुकवाया व चालक से वाहन में भरे खनिज का बिल मांगा तो चालक ने कोई बिल नहीं दिखाया। निरीक्षण टीम द्वारा उक्त वाहन का चांदना कम्प्यूटराईजड धर्म कांटा तावडू नूह रोड पर कांटा करवाया तो उक्त वाहन में लगभग 23.50 मिट्रिक टन (वाहन सहित) अवैध खनिज पाया गया। उक्त वाहन को टीम द्वारा थाना सिटी तावडू में लाकर खड़ा किया गया व इस कार्यालय को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर खनन विभाग से श्री मानप्रताप सिंह खनन निरीक्षक ने उक्त वाहन को खान एवम खनिज अधिनियम (D&R) 1957 की धारा 21 (4) व राज्य खनन नियम 2012 के उपनियम 102 व माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2019 व 19.02.2020 (प्रति संलग्न) के अनुसार पृष्ठांकन कमांक एस.पी.एल. नम्बर 2 दिनांक 17.01.2024 को सीज करके थाना सिटी तावडू में अमानतन खड़ा किया। उक्त वाहन का चालक वाहन को सीज करत समय मौके पर मौजूद नहीं था। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के दिनांक 23.04.2019 व 19.02.2020 के आदेशानुसार उपरोक्त वाहन के मालिक व चालक से प्रयावरण क्षतिपूर्ति राशी 4,00,000/- खनिज की रायल्टी रु 1175/-, कीमत रु 8225/- व जुर्माना राशी 10,000/- ई चालान के माध्यम से सरकारी खजाना में जमा करवानी थी जिसे अभी तक जमा नहीं करवाया हैं। आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त वाहन मालिक व चालक के खिलाफ माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में उपरोक्त आदेशों की उल्लघनां करने बारे व अवैध खनिज परिवहन करने बारे खान एवम खनिज (D&R) अधिनियम 1957 की धारा 21 (1) व 21.4(A). 379 IPC के तहत कानूनी कार्यवाही करके इस कार्यालय को अवगत करवाने का कष्ट करे जिस पर मु. न. 797 दिनांक 21.02.2024 धारा 379 IPC, 21(1) व 21.4(A) MMDR Act 1957 PS HSEnB GGM. में दर्ज रजि. किया जाकर अभियोग का अनुसंधान HC राकेश द्वारा अमल में लाया गया वा उसके बाद अभियोग का अनुसंधान प्रधान सिपाही भारत दवारा अमल में लाया गया दौरान अनुसंधान घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर प्रत्यक्ष मानचित्र घटना स्थल तैयार किया गया दिनांक 26.02.2024 को डम्पर न HR55AK- 2588 को बजरिया सुची प्राप्ती दवारा कब्जा पुलिस में लिया गया जो उसी ताहिर खान पुत्र मजीद खान निवासी सिल्खोह थाना सदर तावडु जिला नुंह को 133 MV ACT का नोटिस दिया गया जिसने नोटिस पर लिख कर दिया कि उस दिन डम्पर उपरोक्त को मैं ही चला रहा था जो ताहिर खान का शामिल अनुसंधान फार्म की पूर्ति की गई जो ताहिर खान का अलग से फर्द इंकसाफ अंकित किया गया। आरोपी के फर्द इंकसाफ पर आरोपी व गवाह ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए। गवाह का ब्यान अंकित किया गया। अभियोग में डम्पर न HR55AK-2588 के बाबत आरोपी RC वा अपना DL पेश ना करने पर अभियोग में धारा 181, 192 , MV ACT ईजाद की गई। फर्द पर आरोपी व गवाह ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए। जो अभियोग में सजा सात साल से कम होने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय अरनेश कुमार के दिशा निर्देशों की

पालना करते हुए आरोपी ताहिर खान उपरोक्त को नियमानुसार बाद मुनासिब हिदायत फारिग किया गया। जो माननीय अदालत के आदेशानुसार डम्पर न HR55AK-2588 को सुपरदारी पर छोडा गया। अभियोग में अब कोई अनुसंधान बकाया नहीं है। इसलिए अभियोग में आरोपी ताहिर खान पुत्र मजीद खान निवासी सिल्खोह थाना सदर तावडु जिला नुंह के खिलाफ सबूत काबिले चालान सफा मिशल पर गुजरने पर अभियोग का चालान बरखिलाफ आरोपी ताहिर खान पुत्र मजीद खान निवासी सिल्खोह थाना सदर तावडु जिला नुंह तैयार किया जाकर बाद चैकिंग मय आरोपी के माननीय न्यायालय में दिया जा रहा है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि खाना न.13. में दर्शाए गए गवाहों को सम्मन द्वारा तलब फरमाया जाकर अभियोग की समायत फरमाई जाए।

17. Refer Notice served (जारी किए नोटिस): No

Date(दिनांक):

(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18. Despatched on (प्रेषण की तिथि):

19. No. of enclosures (संलग्नकों की संख्या): 0

20. List of enclosures, As annexed (संलग्नकों की सूची):

Prepared by Officer in  
charge

प्रभारी अधिकारी द्वारा अंग्रेषित

Name (नाम): Arvind Kumar

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): PSI

(1)

(18)

HARAYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा)

I.I.F.-V Report

I.I.F.-V/एकीकृत जांच फार्म-V

FINAL FORM / REPORT

अंतिम फार्मरिपोर्ट /

(Under Section 173 (2) Cr.P.C.)

173 दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा(2) के अन्तर्गत (

IN THE COURT Sh. Kartik Sharma JMIC Nuh (के न्यायलय मे)

District (जिला): नूह PS (थाना (हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम YEAR (व : (2024

FIR No: (प्र794 : (सं.रि.सू. Date (दिनांक 21-02-2024 : (

Final Report / Charge Sheet No. (अंतिम रिपोर्ट (आरोप पत्र संख्या / Date दिनांक: (

S.No.(क्र.सं.)	Act (अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
.1	IPC	379 IPC & 21(1), Mining Act 1957

Type of Final Form/Report (अंतिम फार्म: (रिपोर्ट का प्रकार; चालान रिपोर्ट

If FIR Uncured (यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित: (

If Charge sheet (यदि आरोप दाखिल किया गया : (

Name of I.O. (जांच अधिकारी का नाम : (HC भारत शर्मा पुलिस चौकी हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो नूह

At the time of charge sheet (आरोप पत्र दाखिल करते समय (

Rank (पद : (HC No.(सं/Rewarin/ 83 : (

(a) Name of complainant (शिकायतकर्ता: (- शाहआलम वरिष्ठ खनन अधिकारी खान एवं भू-विज्ञान गुरुग्राम

.10 Details of Properties/ Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon

(जांच के दौरान बरामद वसू/जब्त सम्पत्ति/तु: (दस्तावेज का विवरण जिन्हे आधार बनाया गया हो/

S.No.	Property description	Estimated value (in Rs.)	P.S. Property Register No.	From whom/ where recovered or seized	निराकरण
	सम्पत्ति का विवरण	अनुमानित मूल्य (में.रु)	थाना सम्पत्ति रजिस्टर सं.	कहाँकिससे जब्त / अथवा बराद की गई।	

.2

.11 चार्जशीट किये गये अपराधियों का विवरण:-  
(प्रत्येक के लिये अलग सीट लगायें)

.1	नाम	सहरून	यदि सत्यापित है	हां
.2	पितापति का नाम/	लखपत	.3 जन्म तिथिवर्ष/	36 साल
.4	लिंग	पुरुष	.5 राष्ट्रीयता	INDIAN
.6	पासपोर्ट न0		जारी करने की तिथि	
	जारी करने का स्थान			
.7	धर्म		.8 अनुसूचित जातिजनजाति/	
.9	व्यवसाय	ड्राईवरी	.10 पता	गावं बाघोर थाना तिजारा जिला अलवर
	क्या सत्यापित है		हां	
.11	अस्थाई अपराधी संख्या			
.12	स्थाई अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो तो)			
.13	गिरफ्तारी तिथि		22-02-2024	
.14	जमानत पर रिहा होने की तारीख		22-02-2024	
.15	अदालत में दाखिल होने के तारीख			
.16	किन अधिनियमों तथा धाराओं के अन्तर्गत		379 IPC & 21(1), Mining Act 1957	
.17	जमानतियों के नाम वा पते			
.18	अभियोगों के विवरण सहित पूर्व सजायाबियां			
.19	अपराधी की हैसियत		सामान्य	

अग्रेषित/पुलिस द्वारा जमानत/पुलिस हिरासत में/ न्यायालय द्वारा जमानत पर /न्यायिक हिरासतघोषित /फरार/  
अपराधी

थाना हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम

जिला गुरुग्राम

सूचि गवाह :-

- 1- शाहआलमदीन वरिष्ठ खनन अधिकारी खान एवं भू-विज्ञान विभाग गुरुग्राम -94165-54774
- 2- रा0उ0नि0 कृष्ण नम्बर 257/गुरुग्राम थाना हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम-96776-6
- 3- राकेश कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी खण्डेलवाल धर्म कांटा फिरोज पुर झिरका  
9812484736
- 4- प्रधान सिपाही राजीव कुमार नम्बर 71/नूहं थाना फिरोज पुर झिरका  
80530622019
- 5- सिपाही सूरज सिंह नम्बर 736/नूहं चौकी हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो नूहं  
9050561560
- 6- प्रधान सिपाही भरत शर्मा नम्बर 83/रेवाडी चौकी हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो  
नूहं 9813920836
- 7- सिपाही विकास नम्बर 422/रेवाडी चौकी हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो नूहं  
8684077840
- 8- ई0एच0सी0 धीरज नम्बर 426/पलवल चौकी हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो नूहं  
8397835556
- 9- प्रधान सिपाही राकेश कुमार नम्बर 181/नूहं चौकी हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो  
नूहं 9728618100
- 10- अरविन्द्र कुमार निरिक्षक प्रबन्धक अफसर थाना हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो  
गुरुग्राम 9812553960

श्रीमानजी,

अभियोग का सार इस प्रकार से है कि सेवा में थाना प्रबन्धक हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम यादि क्रमांक 1812 दिनांक 20-2-2024 विषय हाईवा नम्बर RJ40-GA-6164 के चालक व मालिक के खिलाफ माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के ओदश दिनांक 23-4-2019 व दिनांक 19-2-2020 की उल्लंघना करने व खान एवं खनिज (D&R) अधिनियम 1957 की धारा 21(1), 21.4(4), 379 के तहत कानूनी कार्यवाही करने बारे उपरोक्त विषय मे आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 24-1-2024 को हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो से श्री विजय एस0आई0 179/एच0ए0पी0 राकेश कुमार प्रधान सिपाही नम्बर .181/नूहं श्री विकास प्रधान सिपाही नम्बर 422/रेवाडी श्री धीरज ई0एच0सी0 व श्री भूपेन्द्र ई0एच0सी0 द्वारा हाईवा नम्बर RJ40-GA-6164 को गाव रावली मे पकडा जिसमें पत्थर (लगभग 54 मिट्रिक टन) भरा हुआ था । उक्त वाहन का चालक वाहन को मौका पर छोड कर भाग गया । उक्त वाहन के पारा

गई /  
सीआरपीओ  
मौका नं.  
माफ (21)

ई खन्ना नम्बर SPVV1071153528 दिनांक 41-1-2024 को खनिज पत्थर लगभग 25.38 मिट्रिक टन के लिए जारी किया गया था। निरीक्षण टीम द्वारा उपरोक्त वाहन का खण्डेलवाल धर्मकांटा फिरोज पुर झिरका पर कांटा करवाया गया जिसके अनुसार उक्त वाहन में खनिज की कुल मात्रा 54 मिट्रिक टन पाई गई। उक्त वाहन में उपरोक्त इ-खन्ना में दर्शाई गई खनिज की कुल मात्रा 25.38 मिट्रिक टन अधिक अवैध खनिज पाया गया उक्त वाहन को निरीक्षण टीम द्वारा थाना फिरोज पुर झिरका में लाकर खड़ा किया गया व इस कार्यालय को सूचना दी गई सूचना मिलने पर इस कार्यालय से शाहआलमदीन वरिष्ठ खनन रक्षक ने खान एवम खनिज अधिनियम (D&R) 1957 की धारा 21(4) राज्य खनन नियम 2012 के उपनियम 102 व माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-4-2019 व 19-2-2020 के अनुसार पृष्ठांकन क्रमांक एसओपीओएलओ नम्बर 3 दिनांक 24-1-2024 को सीज करके थाना फिरोज पुर झिरका में अमानत खड़ा किया गया। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के दिनांक 23-4-2019 व 19-2-2020 के आदेशानुसार उपरोक्त वाहन के मालिक व चालक से पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 4,00,000/-रूपये खनिज की सयल्टी मुओ 2700/-रूपये कीमत 18900/-रूपये जुर्माना राशि 10,000/-रूपये ई चालान के माध्यम से सरकारी खजाना में जमा करवानी थी जिसे अभी तक जमा नहीं करवाया है। आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त वाहन मालिक व चालक के खिलाफ माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में उपरोक्त आदेशों की उल्लंघना करने वारे व अवैध खनिज परिवहन करने वारे खान एवं खनिज (D&R) अधिनियम 1957 की धारा 21(1)ए 21.4(ए) 379 भाओदओसओ के तहत कानूनी कार्यवाही करके इस कार्यालय को अवगत करवाने का कष्ट करें। हस्ताक्षर शाहआलामदीन वरिष्ठ खनन रक्षक, खनन अधिकारी खान एवं भूविज्ञान विभाग नूहं। जो मजबूत पत्र से सरेदस्त सुरत जुर्म खान एवं खनिज (D&R) अधिनियम 1957 की धारा 21(1)ए 21.4(ए) 379 भाओदओसओ का घटित होना पाया जाने पर अभियोग उक्त धाराधीन दर्ज रजिस्टर किया गया।

अभियोग का प्रथम अनुरोधान प्रधान सिपाही भारत शर्मा द्वारा अमल में लाया गया उसके बाद अभियोग का अनुरोधान प्रधान सिपाही शकेश द्वारा अमल में लाया गया दोराने अनुरोधान दिनांक 21-2-2024 को गाडी हाईवा नम्बर RJ40-GA-6164 को वजरिये सूची प्राप्ति द्वारा कब्जा पुलिस में लिया गया सूची जप्ती अलग से तैयार की

गई । जिस पर गवाह के हस्ताक्षर कराये गये तथा गवाहों के कथन 161 सीआर0पी0सी0 अंकित किये गये तथा मौका घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्शा मौका नजरी तैयार किया गया तथा गाडी हाईवा नम्बर RJ40-GA-6164 के असल मालिक सहरून पुत्र लखपत निवासी बाधोर थाना तिजारा जिला अलवर को नोटिस 133 एम0वी0एक्ट का दिया गया जिसने नोटिस में लिखित में दिया कि उक्त गाडी का मालिक व चालक मे ही हूँ ।

दौराने अनुसंधान दिनांक 22-2-2024 को आरोपी सहरून पुत्र लखपत निवासी बाधोर थाना तिजारा जिला अलवर के खिलाफ सबूत काबिले गिरफ्तारी सफा मिसल पर गुजरने पर अभियोग में नियम अनुसार शामिल अनुसंधान किया गया दौराने शामिल अनुसंधान आरोपीयान ने अभियोग की घटना बारे अपनी पूछताछ रिपोर्ट अंकित कराई कि दिनांक 24-1-2024 को मैं अपनी गाडी हाईवा नम्बर RJ40-GA-6164 को खुद चला रहा था जो माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश की उल्लंघना करके गावं रावली के पास गाडी हाईवा मे अवैध रूप से राजस्थान से पत्थर चोरी करके भकर लाया था जिसको श्री विजय नम्बर 179/एच0ए0पी0 उप निरीक्षक, प्रधान सिपाही राकेश नम्बर 181/नूहं, प्रधान सिपाही विकास नम्बर 422/रेवाडी, ई0एच0सी0 धीरज नम्बर 423/पलवल, ई0एच0सी0 भुपेन्द्र नम्बर 1632/रोहतक पुलिस चौकी हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो ने माईनिंग चैकिंग के दौरान गावं रावली के पास रोड पर से पत्थर भरे हुऐ को पकड था जिसको माईनिंग विभाग द्वारा माईनिंग एक्ट मे सीज कर दिया था जिसको अभियोग उपरोक्त मे सूचि प्राप्त के द्वारा अधिकार पुलिस मे लिया गया सूचि प्राप्ति पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर किये है । तथा आरोपी ने मौका घटना स्थल की निशानदेही कराई तथा आरोपी ने अपना डी0एल0 पेश किया जिसको प्रमाण के तौर पर सूचि प्राप्ति द्वारा कब्जा पुलिस मे लिया गया । जो पूछताछ रिपोर्ट, फर्द निशानदेही, सूचि प्राप्ति पर आरोपी वा गवाह सिपाही सूरज सिंह नम्बर 736/नूहं ने अपने अपने हस्ताक्षर किये है । आरोपी के मुचलका जाति व जमानत नामा मु0 50-50 हजार रूप्ये अलग से भर कर रखे गये ।

दौराने अनुसंधान दिनांक 26-2-2024 को अभियोग में बरामद शुदा हाईवा रजि0 नम्बर RJ40-GA-6164 को माननीय अदालत के आदेश अनुसार सुपरदारी पर छोडा गया

सूच

जो अब तक के अनुसंधान से, एफ0आई0आर0 के सार से, नक्शा मौका नजरी से, गवाहों के कथनों से, आरोपी पूछताछ रिपोर्ट से, सूचि पहचान घटना स्थल, सूचि जप्ती से आरोपी सहरून पुत्र लखपत निवासी बाधोर थाना तिजारा जिला अलवर राजस्थान के खिलाफ साक्ष्य योग्य चालान फाईल पर आ चुके हैं आरोपीयान उपरोक्त के खिलाफ चालान जेरधारा 173(2) सीआर0पी0सी0 के तहत तैयार करके सुनवाई के लिए न्यायालय में दिया जा रहा है साक्ष्यो को सम्मन द्वारा तलब करके अभियोग की सुनवाई की जाये आरोपी सहरून चालान के साथ पेश अदालत है ।

*[Handwritten signature]*

14/05/24

*[Handwritten signature]*

प्रबन्धक अफसर  
थाना हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम  
दिनांक

KAR...  
Assistant...  
Nuh

(9)

## सूचि कागजात

- 1- चालान फार्म - 5
- 2- असल तहरीर - 9
- 3- नक्शा मौका नजरी - 1
- 4- सूचि प्राप्ति एक हाईवा नम्बर RJ40-GA-6164 मय कागजात व फोटो - 1
- 5- नोटिस 133 एम0वी0एक्ट - 1
- 6- शामिल अनुसंधान प्रपत्र - 1
- 7- पूछताछ रिपोर्ट आरोपी - 1
- 8- सूचि पहचान घटना स्थल - 1
- 9- सूचि जप्ती डी0एल0 - 2
- 10- मुचलका जाति व जमानतनामा - 5
- 11- कलन्द्रा व नोटिस 91 सीआर0पी0सी0 - 2
- 12- सुपरदारी आदेश मय फोटो - 13
- 13- पहचान पत्र - 1
- 14- सजा सिल्य - 1
- 15- कथन 161 सीआर0पी0सी0 4



प्रबन्धक अफसर

थाना हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम  
दिनांक



327  
Government of Rajasthan

DEPARTMENT OF MINES & GEOLOGY, RAJASTHAN



25

RJ40GA6164 is having eRawanna No. **SPVV1071153528 (Confirmed)** which expires on **24-Jan-2024 04:17:23 PM.**

Generated on : **24-Jan-2024 01:17:23 PM**  
Confirmed on : **24-Jan-2024 01:23:45 PM**  
Lease No. : **ME/ALW/Minor/  
ML/58/2006**  
Name of the Lessee : **Divine Mines And Minerals**  
Lease Location : **Naharpur Khurd / Ramgarh  
/ Alwar**  
Mineral : **MasonryStone**  
Net Mineral Weight : **28.43 (Metric Ton)**  
Tare Weight : **16.7 (Metric Ton)**  
Driver Details : **wasim (Mob: 9671858158)**

Consignee Name : **SHYAM STONE COMPANY**  
Consignee Address : **Vill CHAKRANGALA  
FIROZPUR JHIRKA, Mewat,  
Haryana, 122107,**  
Approximate Distance : **60 Km**  
Collection Through : **ERCC (Unpaid Rawanna)**  
Royalty : **₹ 0/-**  
DMFT : **₹ 0/-**  
RSMET : **₹ 0/-**  
NMET : **₹ 0/-**  
Royalty Schedule Rate : **7.(a) Masonary  
Stone(Sandstone,  
Limestone,Granite,Rhyolite,  
Quartzite,  
Schist,Phyllites,Schist etc.) -  
(a) Used as  
Khanda,ballast,road metal,  
fatchere,gitty,parera,crushe  
r dust,gravel,jhajhra etc. - (i)  
Alwar,  
Bharatpur,Jaipur,Jhuhujhun  
u,Sikar,Dholpur,Karuli,Johd  
pur district. (44/-PMT)**  
Weigh Bridge : **Shri Ram Dharm Kanta  
(201710220112)/Near ML  
No 58/06, Village-Naharpur  
Khurd**



328

IN THE HON'BLE COURT OF SH. SURENDER SINGH, CHIEF JUDICIAL  
MAGISTRATE, NUH

26

Tahir Khan

V/s

State of Haryana

**REPLY TO APPLICATION FOR RELEASING THE VEHICLE BEARING  
REGISTRATION NO. HR-55-AK-2588 TO THE APPLICANT/OWNER ON  
SUPERDARI.**

It is respectfully submitted that :-

- 1 That the mining activities in the Aravalli Hill area in the districts of Faridabad, Gurugram & Nuh are lying closed since December 2002 in compliance with orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 16.12.2002.
- 2 On dated 17.01.2024 an information received from Police Station Haryana State Enforcement Bureau, Nuh (Sh. Karan Singh PSI, Sh. Sandeep ASI, Sh. Bharat HC and Sh. Vikas HC) that during checking in the area of Nuh, the vehicle bearing registration number HR-55-AK-2588 Dumper loaded with stone dust (approx. 23.50MT) was checked by the checking team. The driver/owner of aforesaid vehicle did not produce any valid eRawanna/bill for loaded mineral. The aforesaid vehicle was measured at Chandna Computerized Dharm Kanta, Tauru-Nuh Road, Tauru, Nuh and found that the aforesaid vehicle was loaded with approx. 23.50MT illegal mineral. Therefore, the offending vehicle being involved in illegal transportation of mineral without having any valid eRawanna/bill was seized in Police Station City Tauru, by the official of respondent vide this office Memo No. SPL -II dated 17.01.2024 under Rule 102 of Haryana Mineral Concession, Stocking, Transportation of Mineral and Prevention of illegal mining Rules 2012 (In short State Rules - 2012 ). Copy of seizer order and weight slip of vehicle is attached as Annexure - I & II.
- 3 That there is neither any FIR has been registered nor any confiscation application is filed before competent court against the aforesaid vehicle.
- 4 That the driver/owner of offending aforesaid vehicle did not deposit the applicable dues as per Orders of Hon'ble NGT and State Rules-2012 against the seizing order of the respondent.
- 5 That it is also pertinent to mention here that the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi vide order dated 23.04.2019 passed in OA No. 668/2018 has held that "the compensation has to include the cost of mined material or royalty but must have element of deterrence so as to recover cost of Net Present Value (NPV) of environmental services forgone forever and the cost of restoration.

It has been laid down that vehicles involved must be confiscated and released only after recovery of at least 50% of the showroom value of such vehicles. These steps are necessary to sternly deal with illegal actions which are rampant in the State of Haryana as held vide orders dated 05.04.2019 in Original Application No. 360/2015, National Green Tribunal Bar Association Vs. Virender Singh (State of Gujrat) and connected matters". Therefore, the above Hon'ble NGT, New Delhi orders are to be adhered in present case also.

It is also pertinent to mention here that Hon'ble NGT issued a modified order dt. 19.02.2020 "having regard to the above practical difficulty, we modify the order dt. 05.04.2019, 23.04.2019 and 26.07.2019 as follows.

Sr. No.	Category of Vehicle	Penalty Amount
1	Vehicles / Equipments / Excavators with showroom value more than Rs. 25 lacs and less than 5 years old.	Rs. 4 Lacs
2	Vehicle/ Equipments / Excavator with showroom value more than Rs. 25 lacs and more than 5 years but less than 10 years old.	Rs. 3 Lacs
3	For the remaining vehicles older than 10 years / Equipments/ Excavators which are otherwise illegally permissible to be operated and not covered by Serial no. 1 and 2.	Rs. 2 Lacs

Note-I:- On repetition of the offence by the same vehicle/ equipment Order dated 05.04.2019 will be applicable.

Note-II:- The option of release may be available for a period of one from the date of seizure and thereafter, the vehicles may confiscated and auctioned.

Reg. No.	Qty. in MT	Mineral	Price in Rs.	Royalty in Rs.	Penalty in Rs.	NGT Compensat ion	Grand Total in Rs.
HR-55- AK- 2588	23.50 MT	Stone Dust	350 X 23.50 - 8225/-	50 X 23.50 - 1175/-	10000/-	2,00,000/-	2,19,400/-

6 It is paramount important to mention herein that in case titled as M/s K.C.Stone Crushing Co. & Others Vs. State of Haryana & Ors. CRM-M-23190-2020 the Hon'ble Punjab and Haryana High Court at Chandigarh has clearly stated in para No. 45 that when there is neither any FIR/complaint nor any application filed on behalf of

*the respondent authorities for confiscation, the Illaqa Magistrate would not be competent to entertain any application for superdari but would be competent when any FIR/Complaint is lodged or any application for confiscation is filed on behalf of the respondent authorities.*

7 That the provisions of Rule 106 of the State Rules 2012 provides as under:

*"No court shall take cognizance of any offence punishable under these rules except upon a complaint in writing made by the Director or any other officer authorized by him to the Police in this behalf within three months of the date on which said offence is alleged to have been committed."*

8 That it is further submitted that the State rules 2012 framed under the provisions of Act 1957 i.e. Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, and Transportation of Mineral & Prevention of Illegal Mining Rules 2012 provides under Rule 109 that any person aggrieved with the orders passed by the office in-charge at district level may file an appeal before the Director, Mines & Geology, Haryana. The extracts of the Rule 109 are reproduced as under:

**"109. Appeals.**

- (1) *Unless otherwise provided, an appeal against an order passed by the Officer-in-Charge shall lie with the Director;*
- (2) *An appeal against the order passed by the Director shall lie before the Administrative Secretary of the Department;*
- (3) *No order under these rules shall be passed by the competent authority against any person unless he has been issued a show cause and given a reasonable opportunity to make a representation."*

**PRAYER:-**

In view of above provisions, the applicant may avail the remedy for release of vehicle, either by paying the applicable penalty as prescribed under the Rule 102/104 of the 'State Rules 2012' and compensation as per modified order of Hon'ble National Green Tribunal dated 19.02.2020 or in case the petitioner has any grievance about the order of respondent, he may avail the alternative remedy by filing an appeal under rule 109 challenging

the seizer order of the respondent before the Director, Mines & Geology, Haryana.

The present application has been filed without exhausting proper remedy available to him. Hence the same is not maintainable and deserves to be dismissed.

*Suneet L.A.*

Mining Officer,  
Department of Mines & Geology  
Nuh

*for*

Dated: 05.02.2024  
Place : Gurugram

**VERIFICATION:-** Verified that the contents of the aforesaid reply are true & correct to the best of my knowledge and belief and *as* the office records. Nothing material has been concealed there from.

*Suneet L.A.*

Mining Officer,  
Department of Mines & Geology  
Nuh

*for*

Dated: 05.02.2024  
Place: Gurugram

Sehrun V/s State of Haryana

**REPLY TO APPLICATION FOR RELEASING THE VEHICLE BEARING  
REGISTRATION NO. RJ-40-GA-6164 TO THE APPLICANT/OWNER ON  
SUPERDARI.**

It is respectfully submitted that :-

- 1 That the mining activities in the Aravalli Hill area in the districts of Faridabad, Gurugram & Nuh are lying closed since December 2002 in compliance with orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 16.12.2002.
- 2 On dated 24.01.2024 an information received from Police Station Haryana State Enforcement Bureau, Nuh (Sh. Vijay SI, Sh. Rakesh HC, Sh. Vikas HC, Sh. Dheeraj EHC and Sh. Bhupender EHC) that during checking in the area of Village Rawali, the vehicle bearing registration number RJ-40-GA-6164 Hywa loaded with stone (approx. 54MT) was checked by the checking team. The aforesaid vehicle was having eRawanna No. SPVV1071153528 Dated 24.01.2024 which was valid for carrying 28.43MT, however, the aforesaid vehicle got measured at Khandelwal Dharam Kanta, Ferozpur Jhirka and found that the aforesaid vehicle was loaded with approx. 54MT mineral, accordingly, the aforesaid vehicle was loaded with 25.40MT excess illegal mineral. The driver of aforesaid vehicle was not found at the time of seizing of vehicle in Police Station. Therefore, the offending vehicle being involved in illegal transportation of mineral without having any valid eRawanna/bill was seized in Police Station Ferozpur Jhirka, by the official of respondent vide this office Memo No. SPL -III dated 24.01.2024 under Rule 102 of Haryana Mineral Concession, Stocking, Transportation of Mineral and Prevention of illegal mining Rules 2012 (In short State Rules - 2012 ). Copy of seizer order, eRawanna and weight slip of vehicle is attached as Annexure - I to III.
- 3 **That there is neither any FIR has been registered nor any confiscation application is filed before competent court against the aforesaid vehicle.**
- 4 That the driver/owner of offending aforesaid vehicle did not deposit the applicable penalty and NGT compensation as per Orders of Hon'ble NGT and State Rules 2012 against the seizing order of the respondent.
- 5 That it is also pertinent to mention here that the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi vide order dated **23.04.2019** passed in OA No. 668/2018 has held that **"the compensation has to include the**

cost of mined material or royalty but must have element of deterrence so as to recover cost of Net Present Value (NPV) of environmental services forgone forever and the cost of restoration. It has been laid down that vehicles involved must be confiscated and released only after recovery of at least 50% of the showroom value of such vehicles. These steps are necessary to sternly deal with illegal actions which are rampant in the State of Haryana as held vide orders dated 05.04.2019 in Original Application No. 360/2015, National Green Tribunal Bar Association Vs. Virender Singh (State of Gujrat) and connected matters". Therefore, the above Hon'ble NGT, New Delhi orders are to be adhered in present case also.

It is also pertinent to mention here that Hon'ble NGT issued a modified order dt. 19.02.2020 "having regard to the above practical difficulty, we modify the order dt. 05.04.2019, 23.04.2019 and 26.07.2019 as follows.

Sr. No.	Category of Vehicle	Penalty Amount
1	Vehicles / Equipments / Excavators with showroom value more than Rs. 25 lacs and less than 5 years old.	Rs. 4 Lacs
2	Vehicle/ Equipments / Excavator with showroom value more than Rs. 25 lacs and more than 5 years but less than 10 years old.	Rs. 3 Lacs
3	For the remaining vehicles older than 10 years / Equipments/ Excavators which are otherwise illegally permissible to be operated and not covered by Serial no. 1 and 2.	Rs. 2 Lacs

Note-I - On repetition of the offence by the same vehicle/ equipment Order dated 05.04.2019 will be applicable.  
 Note-II:- The option of release may be available for a period of one from the date of seizure and thereafter, the vehicles may confiscated and auctioned.

Reg. No.	Qty. in MT	Mineral	Price in Rs.	Royalty in Rs.	Penalty in Rs.	NGT Compensation	Grand Total in Rs.
RJ-40- GA- 6164	54 MT	Stone	350 X 54 = 18900/-	50 X 54 = 2700/-	10000/-	4,00,000/-	4,31,600/-

It is paramount important to mention herein that in case titled as M/s K.C.Stone Crushing Co. & Others Vs. State of Haryana & Ors.

CRM-M-23190-2020 the Hon'ble Punjab and Haryana High Court at Chandigarh has clearly stated in para No. 45 that when there is neither any FIR/complaint nor any application filed on behalf of the respondent authorities for confiscation, the Illaqa Magistrate would not be competent to entertain any application for superdari but would be competent when any FIR/Complaint is lodged or any application for confiscation is filed on behalf of the respondent authorities.

7 That the provisions of Rule 106 of the State Rules 2012 provides as under:

*"No court shall take cognizance of any offence punishable under these rules except upon a complaint in writing made by the Director or any other officer authorized by him to the Police in this behalf within three months of the date on which said offence is alleged to have been committed."*

8 That it is further submitted that the State rules 2012 framed under the provisions of Act 1957 i.e. Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, and Transportation of Mineral & Prevention of Illegal Mining Rules-2012 provides under Rule 109 that any person aggrieved with the orders passed by the office in-charge at district level may file an appeal before the Director, Mines & Geology, Haryana. The extracts of the Rule 109 are reproduced as under:

**"109. Appeals.**

(1) *Unless otherwise provided, an appeal against an order passed by the Officer-in-Charge shall lie with the Director;*

(2) *An appeal against the order passed by the Director shall lie before the Administrative Secretary of the Department;*

(3) *No order under these rules shall be passed by the competent authority against any person unless he has been issued a show cause and given a reasonable opportunity to make a representation."*

**PRAYER:-**

In view of above provisions, the applicant may avail the remedy for release of vehicle, either by paying the applicable penalty as prescribed under the Rule 102/104 of the 'State Rules 2012' and compensation as per modified order of Hon'ble National Green Tribunal dated 19.02.2020 or in case the petitioner has any

grievance about the order of respondent, he may avail the alternative remedy by filing an appeal under rule 109 challenging the seizer order of the respondent before the Director, Mines & Geology, Haryana.

The present application has been filed without exhausting proper remedy available to him. Hence the same is not maintainable and deserves to be dismissed.

*Suneet L.A.*  
Mining Officer,  
Department of Mines & Geology  
Nuh

Dated: 07.02.2024  
Place : Gurugram

**VERIFICATION:** - Verified that the contents of the aforesaid reply are true & correct to the best of my knowledge and belief and as the office records. Nothing material has been concealed there from.

*Suneet L.A.*  
Mining Officer,  
Department of Mines & Geology  
Nuh

Dated: 07.02.2024  
Place: Gurugram